भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **1767**

दिनांक 10 मार्च , 2021 / 19 फाल्गुन,1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों का निजीकरण

1767. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों का निजीकरण किए जाने से पहले भूमि स्वामित्व के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों का उनकी अनुमति के बिना निजीकरण करके मंत्रालय ने देश के संघीय ढांचे के साथ छेड़खानी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय विभिन्न हवाई अड्डों का निजीकरण किए जाने के उपरान्त भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अवसर उपलब्ध कराएगा,यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हाल ही में छह हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु 50 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत उच्चतम बोलीदाता यथा मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अवार्ड किया गया है। उन हवाईअड्डो, जिन्हें प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु निजी प्रचालकों को पट्टे पर दिया गया है,का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ही रहेगा। तदनुसार, भारत सरकार की स्वीकृति से, इन हवाईअड्डों को भाविप्रा अधिनियम, 1994 की धारा 12क (वर्ष 2003 में संशोधित किए अनुसार) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे पर दिया गया है तथा इन पट्टे वाले हवाईअड्डों का स्वामित्व, भाविप्रा के पास ही बना रहेगा।

(ग): सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के क्रियान्वयन पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा या तो वे भाविप्रा में बने रहें या पीपीपी भागीदार के कर्मचारी बन जाएं। वे कर्मचारी जो भाविप्रा के साथ बने रहते हैं, वे भाविप्रा की सेवा शर्तों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे और जो प्राइवेट प्लेयर के अन्तर्गत कार्य करने का विकल्प चयन करते हैं, वे संबंधित प्राइवेट ऑपरेटर की सेवा शर्तों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे।

*****